

भारतसरकारGovernment of India
परमाणुऊर्जाविभागDepartment of Atomic Energy
आरएंडडी-II अनुभागR&D-II Section

छ.शि.म. मार्गC.S.MMarg,
मुंबईMumbai- 400 001.

सं. No. 1001/2/2019/फेलोशिप Fellowship/आरएंडडी R&D-II/8334 July 5, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : विभिन्न आरएंडडीयूनिटों/सहायता प्राप्त संस्थानों/बीआरएनएस/
Sub एनबीएचएम में कार्य कर रहे विभिन्न अनुसंधान फेलो को मिलने वाले
फेलोशिप में संशोधन।
**Revision of Fellowships admissible to various Research
Fellows working in different R&D Units/Aided
Institutions/BRNS/NBHM.**

अधोहस्ताक्षरी ने उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 24.03.2015 के का.जा. सं. 10/1(21)/2014/फेलोशिप/आरएंडडी-II/3943 एवं दिनांक 07.03.2019 के का.जा.सं.10/1(21)/2014/फेलोशिप/आरएंडडी-II/3071 का संदर्भ लेने एवं नीचे दिए गए विवरण अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को सूचित करने का निदेश हुआ है।

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 10/1(21)/2014/Fellowship/R&D-II/3943 dated 24.03.2015 and O.M. No.10/1(21)/2014/Fellowship/R&D-II/3071 dated 07.03.2019 on the above subject and to convey the approval of the Competent Authority as detailed below:

- (i) पीएचडीस्कालर: विस्तार अवधि के दौरान आंशिक वित्तीय सहायता:
Ph.D. Scholars: Partial Financial support during extension period:

पीएचडीस्कॉलर्स को दी जाने वाली आंशिक वित्तीय सहायता जो कि पांच साल के नियमित कार्यकाल से आगे बढ़ रही है और छह / सात साल (सिंगल/डबलडिग्री)के अपने नियमित कार्यकाल से परे एकीकृत पीएचडी छात्रों को रु17,500/- में संशोधित किया गया है। - (एसआरएफ के लिए दी गई फेलोशिप की संशोधित दर का 50%)। उन छात्रों की संख्या के बारे में जिन्हें आंशिक वित्तीय सहायता की

पेशकश की जा सकती है, मौजूदा प्रावधान (वित्तीय सहायता छात्रों को दी जाने वाली फेलोशिप के 50% से अधिक नहीं है, इस तरह से कि समग्र आउटगोइंग पूर्ण-वर्ष फेलोशिप के भुगतान के बराबर होगी। छात्रों के स्वीकृत वार्षिक सेवन का 25%) जारी रहेगा। फेलोशिप की सामान्य अवधि से परे एक वर्ष की अवधि के लिए विद्यार्थियों को आंशिक वित्तीय सहयोग को बढ़ाया जा सकता है।

The partial financial support extended to the Ph.D. Scholars who are on extension beyond the regular tenure of five years and the Integrated Ph.D. Students beyond their regular tenure of six/seven years (single/double degree) has been revised to Rs. 17,500/- (50% of the revised rate of fellowship offered for the SRF). Regarding number of students who can be offered the partial financial support, the existing provisions (financial support not exceeding 50% of the fellowship to be offered to the students in such a manner that the overall outgo would be equivalent to payment of full-year fellowship to 25% of the permitted annual intake of the students) will continue. The partial financial support may be extended to the students for a period of one year beyond the normal period of fellowship.

(ii) **महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान / Special provisions for women:**

महिला छात्राओं को पीएचडी कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 180 दिन की मातृत्व छुट्टी की अवधि के दौरान फेलोशिप दी जाएगी और तदनुसार फेलोशिप की कुल अवधि को बढ़ाया दी जाएगी।

The women students will be granted Maternity leave once during the Ph.D. Program for a period not exceeding 180 days and the total period of fellowship will be increased accordingly.

(iii) **आकस्मिकता अनुदान Contingency Grant:**

जेआरएफ / एसआरएफ / पीडीएफ / अनुसंधान सहयोगी को देने वाली आकस्मिक अनुदान का भुगतान रु.32,000 / - प्रतिवर्ष से रु.40,000/- प्रतिवर्ष का संशोधित किया गया है।

The contingency grant is revised from Rs 32,000/- to Rs. 40,000/- per annum to JRF/SRF/PDF/Research Associate.

(क) इस आकस्मिकता अनुदान का उपयोग (i) पुस्तकें/जर्नल, (ii) स्टेशनरी (iii) कंप्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर (iv) मेलिंग से संबंधित व्यय (v) यात्रा, रजिस्ट्रेशन

शुल्क और सेमीनार, कांफ्रेस में भाग लेने से संबंधित अन्य व्यय (vi) प्रोफेशनल निकायों की सदस्यता हेतु किया जाना है।

- (a) The contingency Grant to be used for buying (i) books/journals, (ii) stationery, (iii) computer hardware and software, (iv) mailing expenses, (v) travel, registration fee and other expenses connected with participation in seminars, conferences, (vi) membership of professional bodies.
- (ख) पीएचडी विद्यार्थियों द्वारा भुगतान की गई नामांकन शुल्क और थीसिस मूल्यांकन शुल्क, जहाँ कहीं लागू हो आकस्मिकता अनुदान का हिस्सा नहीं होगी। संघटक संस्थान/एचबीएनआई और टीआईएफआर के ओसीसी ऐसी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए नीतियां बना सकती है, जैसा वे उपयुक्त समझें।
- (b) Enrolment fee and thesis evaluation fee wherever applicable, paid by the Ph.D. students shall not be part of contingency grant. The Constituent Institutions (CIs) /Off-Centre Campus (OCC) of HBNI and TIFR can frame policies for reimbursement of such fees as considered appropriate by them.
- (ग) विद्यार्थियों द्वारा कार्य से संबंधित यात्रा पर आने वाला व्यय की प्रतिपूर्ति सीआईएस/ओसीसी द्वारा की जाएगी।
- (c) Work related travel by the Students will be reimbursed by the CIs./OCC.

(iv) **रिसर्चफेलोकीसेवा शर्तें:**

Service conditions of Research Fellows:

परमाणु ऊर्जा विभाग के 24मार्च 2015के कार्यालय ज्ञापन सं.10/1(21)/2014/ फेलोशिप/आरएंडडी-II/3943की भाग 3 में सेवा शर्तें लागू रहेंगी।

The service conditions in Section 3 of the DAE OM No. 10/1(21)/2014/Fellowship/R&D-II/3943 dated March 24, 2015 **will remain same.**

: 4 :

2. उपर्युक्तदरैदिनांक1 जनवरी2019 सेलागूहोंगी।
The above rates are applicable w.e.f. 1st January, 2019.
3. इसे सक्षम प्राधिकारी, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority, DAE.

B. S. Pai
01/11/19

(भारतीएस.पैBharati S. Pai)

अवरसचिव (आरएंडडी-II) Under Secretary (R&D-II)

022 2286 2532

1. पऊवि की संघटक इकाइयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी प्रमुख
All the Heads of Units/Heads of Autonomous Institutions under DAE.
2. आरएंडडी यूनिट के आईएफए/जेसी(एफएंडए)/सीएओ/रजिस्ट्रार/पऊवि के अधीन
स्वायत्त संस्थानों में सीएओएवं वित्त प्रभारी
IFAs/JC(F&As)CAOs in R&D Units and Registrars/CAOs & Finance in-
Charge in Autonomous Institutions under DAE.
3. मुख्य लेखा नियंत्रक, पऊविChief Controller of Accounts, DAE.
4. पऊवि के सभी अधिकारीगण/अनुभाग All Officers/Sections in DAE
5. सहायक कार्मिक अधिकारी, सचिव का कार्यालय, पऊवि
APO, Office of Secretary, DAE.
- 6.. अध्यक्ष, बीआरएनएस Chairman, BRNS.
7. अध्यक्ष, एनबीएचएमChairman, NBHM